मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 667 /758/2014/32–1, भोपाल, दिनांक 20-3/14

प्रति,

1. आयुक्त
म0प्र0गृह निर्माण मण्डल
भोपाल

2. आयुक्त–सह–संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल

3. कार्यपालन संचालक,
पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन/आपदा प्रबंध संस्थान /राज्य नगर नियोजन संस्थान, भोपाल

4 सदस्य सचिव
म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
भोपाल।

5 प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कर्मचारी आवास निगम, भोपाल

6 अधीक्षण यंत्री,
राजधानी परियोजना प्रशासन
भोपाल।

7 मुख्य कार्यपालन अधिकारी
समस्त विकास प्राधिकरण एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, मध्यप्रदेश।

No. 5006
Dt. 24/3/2014

विषयः–लोक सभा चुनाव,2014 आदर्श आचरण संहिता के संबंध में।

उपरोक्त विषय में म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ–19–25/2014/1/4, दिनांक 10.3.14 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः–यथोपरि।

19-3-14

(अशोक कुमार मालवीय)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

CC (ADM)

Also
to circulate to all unit head NHS
20/3

SO-2 Letter

लोक सभा चुनाव

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक एफ 19–25/2014/1/4 भोपाल दिनांक 10 मार्च, 2014

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष म0प्र0
समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म0प्र0 ।

पंजी क्र. 718
दिनांक 15-3-14

विषयः– लोक सभा चुनाव 2014– आदर्श आचरण संहिता के संबंध में ।

502 13-3-13

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम चुनाव–2014 के लिए निर्वाचन कार्यक्रम दिनांक 05 मार्च 20014 को घोषित कर दिया गया है। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही दिनांक 05/03/2014 से आदर्श आचरण संहिता भी लागू हो गई है।

2/ आदर्श आचरण संहिता के प्रभावी एवं समुचित निष्पादन के लिए निम्नांकित निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए–

1. राज्य शासन ने ब्लाक, तहसील, अनुविभाग, जिला तथा संभाग स्तर पर कई ऐसी समितियां बनाई हैं जिनमें शासकीय अधिकारियों के अतिरिक्त अशासकीय व्यक्ति भी सदस्य है और इनमें से कई समितियों की अध्यक्षता अशासकीय व्यक्ति द्वारा की जाती है। ऐसी समितियों की बैठक निर्वाचन प्रकिया संपन्न होने तक न की जाये तथा कोई भी सामान्य स्वरूप के परन्तु आवश्यक निर्णय जो आदर्श आचरण संहिता के दायरे के भीतर ही हो संबंधित विभाग द्वारा लिये जावे।
2. आदर्श आचरण संहिता के प्रभावशील रहने के दौरान राज्य के मंत्रि–परिषद द्वारा लिये गये निर्णयों को जारी करने से पूर्व उनकी जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल को भेजी जावे ।
3. शासन के विभिन्न विभागों, निगमों, मण्डलों, प्राधिकरणों तथा ऐसी अन्य संस्थाओं, जो शासन द्वारा निर्मित हैं या जिनमें शासकीय धनराशि पूर्णतः या आंशिक रूप से सन्निहित है या जो शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा प्रतिनियुक्ति पर आंशिक या पूर्णतः संचालित है द्वारा समय–समय पर प्रेस तथा अन्य मीडिया को जानकारी एवं विज्ञप्तियां जारी की जाती है ऐसी जानकारी और विज्ञप्तियों की प्रतियां इन संस्थाओं द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म0प्र0, भोपाल को भी भेजी जाए।
4. राज्य शासन के जनसंपर्क विभाग द्वारा भी प्रतिदिन प्रेस एवं मीडिया के लिए विज्ञप्तियां एवं जानकारी जारी की जाती है। उसकी प्रतियां भी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म0प्र0, भोपाल को भेजी जाए।

5. राज्य शासन के जनसंपर्क विभाग द्वारा राज्य से संबंधित समाचार की कटिंग तैयार की जाती है। इसका एक सेट मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म0प्र0, भोपाल को भी प्रतिदिन उपलब्ध कराया जाए।

6. राज्य शासन के विभिन्न विभागों, निगमों आदि ऊपर उल्लेखित संस्थाओं द्वारा किसी प्रकार के पट्टे एवं अन्य विशेष सुविधाऐं न बांटी जाए।

7. निर्वाचन की प्रकिया चलते रहने के दौरान राज्य शासन द्वारा महत्वपूर्ण नीलामियां लंबित रखी जायें ।

8. राज्य शासन, उसके विभिन्न निगमों तथा अन्य संस्थाऐं जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, द्वारा निर्वाचन अवधि में नवीन नियुक्तियां न की जायें ।

9. राज्य शासन द्वारा ऊपर वर्णित संस्थाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों आदि के स्थानांतरण भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर प्रसारित मार्गदर्शिकाओं के अंतर्गत ही किये जायें ।

10. राज्य शासन तथा उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की पदोन्नतियां निर्वाचन काल में स्थगित रखी जाएगी । महत्वपूर्ण एवं आवश्यक मामलों में पदोन्नति के आदेश भारत निर्वाचन आयोग की पूर्व अनुमति लेकर ही जारी किये जा सकेंगे ।

3/ यदि आदर्श आचरण संहिता के पालन के सिलसिले में किसी प्रकार का संदेह हो तो यह उचित होगा कि संबंधित मामलों को भारत निर्वाचन आयोग को भिजवाकर उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर लिया जाये ।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
भोपाल दिनांक 10 मार्च, 2014

पृ0क्रमांक एफ 19-25/2014/1/4

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय,मंत्रालय,भोपाल ।
4. प्रमुख सचिव,राजभवन भोपाल, मध्यप्रदेश ।
5. प्रमुख सचिव, म0प्र0 विधानसभा भोपाल ।
6. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल ।
7. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, म0प्र0, जबलपुर ।
8. सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल ।
9. सचिव, मानव अधिकार आयोग भोपाल ।
10. सचिव, राज्य सूचना आयोग भोपाल ।
11. सचिव,म0प्र.राज्य निर्वाचन आयोग,भोपाल ।
12. महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर/भोपाल ।

निरन्तर...3

13. महाधिवक्ता / अतिरिक्त महाधिवक्ता म0प्र0 जबलपुर / इन्दौर / ग्वालियर ।
14. सचिव, म0प्र0 लोक सेवा आयोग इन्दौर।
15. आयुक्त,जनसंपर्क, भोपाल ।
16. मान0मंत्रीगण / राज्य मंत्रीगण के निज सचिव / निज सहायक ।
17. समस्त प्रबंध संचालक, निगम / मण्डल / बोर्ड / परिषद मध्यप्रदेश ।
18. सामान्य प्रशासन विभाग के समस्त कक्ष एवं समस्त प्रकोष्ठ,मंत्रालय,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(बी0आर0 विश्वकर्मा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,सामान्य प्रशासन विभाग